...य उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...संख्या :–133 / 2021 दायर दिनांक: 27.08.2021

...S NO:- 2021/236

...ठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बद्रीलाल आ0 रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. देवकरण आ0 रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मोरपाल आ0 जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. सीताराम आ0 मोरपाल जाति गुर्जर निवासी करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 27.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करीरी पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 25 बीघा भूमि प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है । यह कि प्रार्थी की भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 153 पर होते हुए सिवायचक भूमि 154 में होकर प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचता है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सदैव से करते चले आ रहे है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने के कारण रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 20 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट ''अ'' ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार खसरा नम्बर 155 में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 507 / 154 में से 13 फिट चौडा व 521 फिट लम्बा कुल 6773 वगै फिट है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बालापुरा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब / रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम करीरी पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 155 पर पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 507 / 154 में से 13 फिट चौडा व 521 फिट लम्बा कुल 6773 वगै फिट राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:19:12 IST
Reason: SelfAttested

...शिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार ...दिशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व ... दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:19:12 IST
Reason: SelfAttested